समयबद्ध
अति आवश्यक

संख्याः फिन–ए–सी (6)–2/2022
हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त (बजट) विभाग

प्रेषकः

सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषितः

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक शिमला–171002, 03 जनवरी, 2023.

विशयः– वित्त वर्ष 2023–24 के लिए बजट अनुमानों तथा चालू वित्त वर्ष 2022–23 के लिए संशोधित बजट अनुमानों को समय पर वित्त विभाग को भेजने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 24.08.2022 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमानों को विधान सभा में प्रस्तुत करते समय अनुदान मांगों के साथ स्थाई और अस्थाई पदों का विवरण भी प्रस्तुत किया जात है। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि कुछ विभागों द्वारा स्थाई और अस्थाई पदों का विवरण update नहीं करवाया जा रहा है। इस विभाग के उक्त पत्र में अनुरोध किया गया है कि स्थाई और अस्थाई पदों को अनुदान मांगों की अनुसूची V और VI में दर्शाने के लिए पदों का नाम, वेतनमान तथा उनके सृजन सम्बन्धी लेखा शीर्षों का स्कीमवार विवरण दिया जाना आवश्यक है। जिन पदों का स्थाईकरण कर दिया गया है, उनका प्रावधान नव व्यय अनुसूची में न मांगकर भाग–1 में मांगा जाना चाहिए तथा स्थाईकरण आदेशों की मूल/छायाप्रतियां भी आवश्यक रूप से इस विभाग के अभिलेखार्थ बजट प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

यहां यह भी सूचित किया जात है कि पदों से सम्बन्धित सूचना के लिए उत्तदायित्व विभागाध्यक्षों को होता है। अतः आपसे पुनः अनुरोध किया जाता है कि

अनुदान मांगों की अनुसूची V और VI में स्थाई और अस्थाई पदों के विवरण को Relevant Record (सृजन आदेशों/स्थाईकरण आदेशों) सहित वित्त विभाग में 15.01.2023 तक या उससे पूर्व update करवाने हेतु अपने–अपने विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को दिशा–निर्देश देने की कृपा करें।

कृपया इसे अति आवश्यक समझें।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार)
उप सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि। **दिनांक शिमला–171002, 03 जनवरी, 2023.**

प्रतिलिपि समस्त सहायक, वित्त–क और वित्त–छ अनुभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला–171002 को इस आशय के साथ प्रेषित है कि वे अपनी–अपनी अनुदान मांगों से सम्बन्धित स्थाई और अस्थाई पदों का विवरण सम्बन्धित विभागों से मंगवा कर उसे update करना सुनिश्चित करें।

(प्रदीप कुमार)
उप सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार।